परिनिरीक्षको द्वारा कक्ष में की जाने वाली घोषणायें			
दिनांकः	शिफ़्टः	कक्ष संख्याः	
	घोषणा करने वाले परिनिरीक्षक के स्पष्ट हस्ताक्षर		
परिनिरीक्षक द्वारा परीक्षार्थियों के सीट पर बैठने के उपरान्त तीन बार की जाने वाली घोषणा/चेतावनी	सीट पर बैठने के उपरान्त	उत्तरपुस्तिका वितरण के उपरान्त	प्रश्नपत्र वितरण के उपरान्त
(1) परीक्षार्थी प्रवेश पत्र एवं उत्तरपुस्तिका के मुखपृष्ठ पर छपे हुए समस्त निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे तथा तदानुसार कार्य करेंगे ।			
(2) सभी परीक्षार्थी सावधानी पूर्वक अपनी जेब, कपड़े, जूते, पेनबाक्स, सीट, डेस्क, आसपास का क्षेत्र आदि देख लें कि कोई भी कागज़ का टुकड़ा, लिखा हुआ टुकड़ा आदि कुछ भी सामग्री ऐसा तो नही है, जिसके कारण अंत में उस परीक्षार्थी को नकल करने का दोषी ठहराया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ भी उपस्थित है तो परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व ही तत्काल कक्ष में उपस्थित परिनिरीक्षक के संज्ञान में लायें। परिनिरीक्षक द्वारा ऐसे किसी भी संदिग्ध सामग्री को कक्ष से हटवा दिया जायेगा।			
(3) परीक्षार्थी कोई भी रफ़ कार्य उत्तरपुस्तिका के बाँये पृष्ठ पर ही कर सकते हैं। जिसे बाद में वे काट दें जिससे परीक्षक द्वारा उनका मूल्याँकन न किया जाये। परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक के लिये दिये गये स्थान पर प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक सावधानी पूर्वक लिखेंगे तथा इसके अतिरिक्त उत्तरपुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करेंगे।			
(4) परीक्षार्थी ब्लाटिंग पेपर, लाग टेबल, स्टीम टेबल, स्टील टेबल, डेस्क आदि पर कुछ भी नहीं लिखेंगे।			
(5) परीक्षार्थी ध्यान दें कि यदि उनके द्वारा प्रश्नपत्र संख्या त्रुटिपूर्ण अंकित की जाती है अथवा प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई अन्य त्रुटि की जाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का ही है, परिषद का इसमें कोई उत्तरदायित्व नही होगा।			
(6) किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उत्तरपुस्तिका में मोबाइल नम्बर अंकित किया जाता है, तो संबंधित छात्र/छात्रा को संबंधित विषय में अंक को शून्य कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परीक्षार्थी का होगा।			
केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर -			